तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.19	श्रीमान प्रार्थी व पेशकार हाजिर। उपरोक्त अप्रार्थी नं. 1 लगा 5 की ओर से भी अंजरवान्स मुताबिक अर्जी को आवलतनामा के जवाब पेश किया। मजाल हिदायत प्राप्त रहे। बहस बावत दि० 5/11/19 को पेश हो।	
5.11.19	श्रीमान उपस्थित उप०। बहस हेतु समय चाहा है वास्ते बहस दि० 19/11/19 को पेश हो।	
19.11.19	पीठासीन अधिकारी श्री एस.डी.ओ. साहब टौंक पधारे हैं। पत्रावली बहस बावत दिनांक 20/11/19 को पेश हो।	
20.11.19	श्रीमान उपस्थित उप०। बहस हेतु समय चाहा है वास्ते बहस दि० 25/11/19 को पेश हो।	
25.11.19	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब टौंक पधारे हैं। सो पत्रावली बहस बावत दिनांक 6-12-19 को पेश हो।	
6.12.19	श्रीमान उपस्थित उप०। बहस सुनाई की गई। प्रार्थी का मुख्तसर रूप से कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 212 रकबा 0.55 हे०, 850/3296 रकबा 0.39 हे०, 866 रकबा 0.77 हे०, 2268 रकबा 0.27 हे०, 2266 रकबा 0.17 हे०, 2422 रकबा 0.29 हे०, 2541/3297 रकबा 0.22 हे०, 2819 रकबा 0.51 हे०, 2821 रकबा 0.30 हे० कुल किता 9 रकबा 3.47 हे० वाके ग्राम कुहाड़ा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह में स्थित है। उक्त आराजीयात देवा पुत्र भान्दा जाति खाती निवासी कुहाड़ा बुजुर्ग की खातेदारी में थी जिसका निधन दि० 02/6/2019 को हो गया है। मृतक देवा के प्रार्थी व अप्रार्थीगण वारिसान हैं।	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रतिपक्षीया नर्बदा, कौशल्या, धौली, प्रार्थी की व प्रतिपक्षी नारायण की बहिनें हैं इनकी शादियां हो गयी है। वे अपने ससुराल में रहती है। प्रतिपक्षीया सुगना देवी हमारी मां है जो प्रार्थी व प्रतिपक्षी रामविलास के पास रहती है। प्रार्थी के पिता देवा की मृत्यु के बाद उसका दाहसंस्कार व सम्पूर्ण क्रिया कर्म प्रार्थी व रामविलास ने मिलकर किये थे। इसके बाद दिनांक 15/6/2019 को प्रतिपक्षीगण 2 लगा 5 ने अपने हिस्से की जमीन का हकत्याग प्रार्थी व प्रतिपक्षी रामविलास के हक में बहिस्सा बराबर कर दिया। देवा की जमीन में जो हक हिस्सा प्रतिपक्षीगण नं. 2 लगा 5 का था उस सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग उन्होंने कर दिया और इस आशय का हकत्याग भी लिखित में करवा दिया जिस पर स्वयं प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 1 लगा 5 ने गवाहान की मौजूदगी में अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी किये जो हकत्यागनामा लिखा गया वह असल अप्रार्थी रामविलास ने अपने पास रख लिया। और अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से वादा किया कि वह हकत्याग के आधार पर देवा के नाम जो जमीन है उसका नामान्तकरण मेरे हक में व रामविलास के हक में बहिस्सा बराबर भर जावेगा। प्रार्थी ने इन लोगों पर विश्वास किया और असल हकत्यागनामा अप्रार्थी रामविलास को दे दिया एवं यह हकत्यागनामा गांव में लिखा था इसलिए उसकी फोटो कॉपी प्रार्थी के पास नहीं है। अब अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गयी है जो हकत्याग के विपरीत विरासत का नामान्तकरण करवाकर जमीन को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। प्रार्थी 1/2 हि० पर व 1/2 हि० पर अप्रार्थी रामविलास काबिज काश्त है। अब नामान्तकरण करवाकर जमीन को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। प्रार्थी अपने 1/2 हि० का तकासमा करवाकर अलग अपना हिस्सा करवाने का अधिकारी है। अगर अप्रार्थीगण को ऐसे करने से पाबन्द नहीं किया गया तो उनकी बेजा हरकतों की वजह से प्रार्थी को अपूरणीय हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति कतई संभव नहीं है। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के	

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर अहकाम जो इस हुक्म में जारी

पक्ष में प्रबल है। दि० 20/7/19 को अप्रार्थीगण ने हकत्याग के विरुद्ध (विपरीत) नामान्तकरण करवाकर जमीन को खुर्द बुर्द करने व प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी। बाद प्रार्थी अन्दर मियाद पेश है। अतः अ० पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को तौफेसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावें कि वे उक्त वादग्रस्त आराजियात से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें। प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजी का उपयोग उपभोग लेने से नहीं रोके। उक्त आराजी को रहन, बय, बक्शीश, बैनामा, अंतरण, खुर्द बुर्द नहीं करें। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आरा० सम्वत 2073-76 खाता सं. 148 में दर्ज कुल किता 3 रकबा 3.47 हे० वाके ग्राम कुहाड़ाबुजुर्ग में स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा 5 के पिता देवा पुत्र भन्ना जाति खाती के नाम पूर्व हिस्सा दर्ज है उनके पिता देवा की मृत्यु हो चुकी है जिसका अभी तक नामा० भी वारिसान के हक में दर्ज नहीं किया गया है लेकिन देवा (पिता) के फौत होने पर प्रार्थी के मन में खोट व बेईमानी आ गयी है व वारिसान के हक में विरासत नामा० खोलने से बचने की गरज से व आरा० को हड़पने की गरज से झूठा दावा व दर पेश किया है देवा की मृत्यु के बाद उसका छोड़ना व सम्पूर्ण ... प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 1 लगा 5 ने अभी वारिसान ने किया न कि प्रार्थी ने वक्तियान ने किया अप्रार्थी नं. 2 लगा 4 सभी बहिनें व नं. 5 मां है जिन्होंने अपने पिता की जमीन का कोई हकत्याग पत्र प्रार्थी व अप्रार्थी के हक में बहिस्सा बराबर नहीं किया। आराजी अभी देवा पुत्र भन्ना के ही नाम दर्ज है जिसका विरासत का नामा० प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 1 लगा 5 के हक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में बराबर 2 खोला जाना है अगर अप्रार्थी नं. 2 लगा 5 द्वारा किसी प्रकार का हकत्याग किया होता तो उसका राजस्व रिकार्ड में नामा० दर्ज होना चाहिए था। जो नहीं हुआ है बिना विरासत का नामा० हुए प्रार्थी किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के मन में बेईमानी आ गई है जो झूठा हकत्याग बनाकर व बिना हकत्याग हुए ही व बिना नामा० विरासत का दर्ज हुए ही व वारिसान के हक में किसी प्रकार का नामा० नहीं खोलने देने व नामा० की कार्यवाही को रुकवाने की गरज से यह झूठा दावा पेश किया है। अप्रार्थीगण मृतक देवा पुत्र भन्ना के विधिक वारिसान होने व उनका भी आरा० में समान हक हिस्सा होने व खातेदार होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगा 5 अपने 2 हिस्से की आराजियात पर मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी ने प्रा०पत्र के समर्थन में फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2072-75 खाता सं. 148 वाके ग्राम कुहाड़ाबुजुर्ग, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी सम्वत 2075 पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2072-75 खाता सं. 148 वाके ग्राम कुहाड़ा बुजुर्ग के अनुसार खातेदार देवा पुत्र भन्ना जाति खाती सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। उभयपक्ष इस बात को मान रहे हैं कि खातेदार देवा फौत हो चुका है प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 लगा 4 उसके सगे पुत्र पुत्रियां होना व अप्रार्थीया नं. 5 उसकी बेवा होना जाहिर है देवा की विरासत में प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 1 लगा 5 का हक बराबर

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	समान हक हिस्सा है अभी देवा की विरासत का नामान्तकरण भी नहीं हुआ है पत्रावली पर पेश कोई भी दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अप्रार्थी नं. 2 लगा 5 ने अपने 2 हिस्सों की आराजी का प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 रामनिवास के हक में हकत्याग कर दिया है अभी जब आराजियात मुतनाजा की खातेदारी ही मृतक देवा के ही नाम दर्ज है तो हकत्याग होने का प्रश्न ही नहीं उठता है प्रार्थी को इस प्रकार विरासत की कार्यवाही के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लेकर आना उचित एवं न्याय संगत नहीं है मौजूदा स्थिति में प्रार्थी का केस न तो प्रथम दृष्टया है तथा ना ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है तथा ना ही किसी तरह की अपरिमित क्षति होना जाहिर है किसी भी खातेदार की मृत्यु होती है तो कानूनन उसके सभी वारिसान के नाम विरासत होना आवश्यक है हस्तगत प्रकरण में खातेदार देवा फौत हो चुका है प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 1 लगा 5 सभी मृतक देवा के वारिसान है देवा की उक्त आराजियात की विरासत में प्रार्थी व अप्रार्थीगण समान रूप से आराजी की खातेदारी अपने नाम लगवाने के कानूनी रूप से हकदार है इस प्रकार प्रार्थी का प्रा.पत्र चलने योग्य नहीं है लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दि. 19.8.2019 को भी खारिज किया जाता है तहरीर जारी हो पत्रावली के तय शुदा होकर नम्बर से कम हो। हुक्म आज दि. 6/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया। लिखाया गया बोलकर रहो।
	उपखण्ड अधिकारी (डॉ. ...) उपखण्ड अधिकारी, ...